वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,89,188,92ए,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट वादी
2. असलम शेर खान एडवोकेट वादी
3. अब्दुल सलीम गौरी एडवोकेट प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15/02/2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अभिभाषक एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188,92ए,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया, कि ग्राम घटियाली तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर स्थित जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता स. 949 मे दर्ज खसरा नम्बर 4133,4134,4248,4250,4253,4256 कुल किता 7 कुल रकबा 4.62 है. [illegible] जो कि वर्तमान मे मोहन ,मिश्री ,लखमा पिता कजोड 3/5 हिस्सा मानी बदाम पुत्रीया2/5 मीणा सा. गिरवरपुरा खातेदार मिश्री व लखमा पिता कजोड का हिस्सा रहन एस.बी.आई केकडी मुर्तहीन नामान्तरण संख्या 1826 दर्ज थी। उपरोक्त वादवर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी के पूर्वजो की आराजी है जो राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की त्रुटिवश अकेले प्रतिवादी के नाम चली गई जिसमें वादी व प्रफार्मा प्रतिवादी का नाम हटा दिया है जिसे कारण वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम होने से प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण वादी ने यह वाद पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाने की प्रार्थना वादी ने इस वाद पत्र में की है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण की और से अब्दुल सलीम गोरी एडवोकेट ने पावर पेश किया अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दिवानी का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। प्रफार्मा प्रतिवादी स. 14 से पूर्व फोत अंकित किया गया जवाब दावा पेश किया जिसे स्वीकार हुआ प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दीवानी का पेश किया जिसे खारिज किया गया वादी ने जवाबुल जवाब पेश किया प्रतिवादीगण ने जवाबूल जवाब पेश किया । तनकियात कायम कर प्रकरण में प्रर्दश 1 व 2 अंकित कर वादी की गवाह पी. डब्ल्यू 1,2,3, की जिरह पूर्ण की गई प्रतिवादी के गवाह लखमा व ओमलाल के शपथ पत्र पेश हुए जिनकी जिरह नहीं होने से प्रतिवादी की शहादत बंद कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अभिभाषक वादी ने लिखित बहस पेश की है प्रतिवादी को बार बार आवाजे लगाई गई किन्तु प्रतिवादी की ओर से न तो उनके अभिभाषक उपस्थित हुए न ही प्रतिवादीगण उपस्थित हुए , अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर तनकीवार बहस का विवरण निम्न प्रकार है:–

तनकी न. 1 आया वादीगण की वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की भूमि होने से वादी अपने हिस्से बाबत घोषणा कराने, बंटवारा कराने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का हक रखता है।

इस तनकी को सिद्व करने का हक वादी का है इस तनकी को सिद्व करने हेतु वादी ने प्रदर्श 1 फसली जमाबन्दी स. 1359 पेश की है जिसमें पुराने खसरा नम्बर 2520, 2573, 2575, 2580 कुल रकबा 19–12–00 बीघा अकेले कजोड पुत्र काना मीना सा. गिरवरपुरा के नाम दर्ज थी वादी ने प्रदर्श 2 वर्किंग जमाबन्दी सं. 2041 खाता स. 49 पेश किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 3679, 3738, 3740, 3742, 3748 और 3747 कुल किता 6 कुल रकबा 28–11–00 बीघा बने है जो अकेले कजोड वल्द काना मीणा निवासी गिरवरपुरा सा.देह खातेदार दर्ज है वादी ने मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:42:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

हाल खसरा नम्बर		भू संशोधन के खसरा नम्बर		हाल खसरा नम्बर		साबिक खसरा नम्बर	
2520	7–7–10	3679	7–7–10	4133	0.86	3679मि.	0.86
2571	5–7–00	3738	5–7–00	4137	0.33	3679 मि.	0.33
2573	3–3–10	3740	3–3–10	4248	0.58	3742	0.58
2575	3–11–00	3742	3–11–00	4250	0.51	3740	0.51
2580	5–10–00	3747	5–10–00	4251	0.89	3747	0.89
2581	3–13–00	3748	5–13–00	4253	0.86	3738	0.86
				4156	0.03	3250 मि.	0.03

उपरोक्तानुसार पुराने खसरा नम्बर के हाल ख.न. बने है वादी के पिता व दादा के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है जिसके अनुसार श्री सुखा मीण दिनांक 15–10–1987 को व श्री काना मीणा दिनांक 22–12–77 को फोत हो चुका है । वादी ने नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी संवत 2065–68 के खाता स. 1011पेश किये है जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के नाम अंकित है तथा विशेष विवरण में नामान्तरणस. 2069 दिनांक 27.9.2008 से मिश्री पिता कजोड हि. 1/5 रहन केकडी सहकारी भूमि विकास बैंक लि.केकडी मूर्तहीन का अंकन एंव नामान्तरण स. 2467 दिनांक20.10.11 से मृतक मोहन पिता कजोड के स्थान पर देवली पत्नी मोहन, भंवरलाल, बंशीलाल, जयसिह, रामसिंह पिता मोहनलाल मीणा सा.गिरवरपुरा का अंकन स्वीकार होना लाल स्याही से दर्ज है। वादी ने गिरदावरी सं. 2065–68 पेश की है। जिसमें गिरदावरी हाल जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान के नाम गिरदावरी अंकित की गई है।

सावला फोत

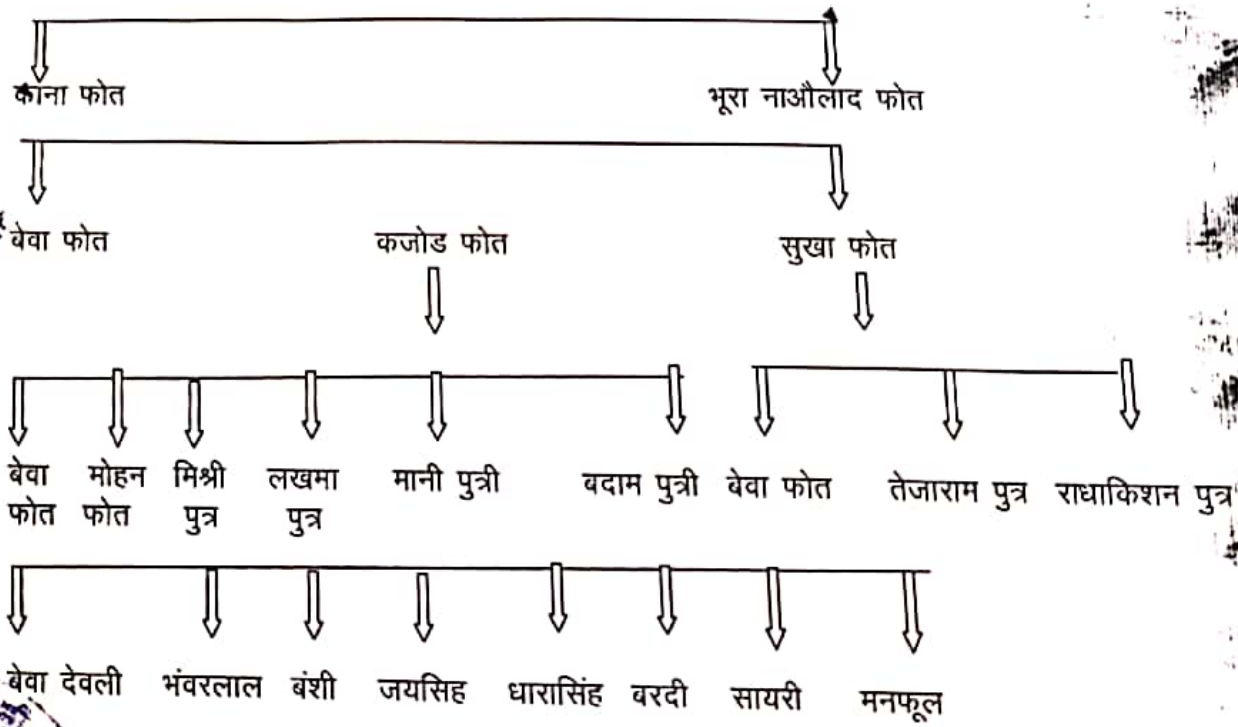

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:42:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सजरा वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है उपरोक्तनुसार सजरानुसार
वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण की
एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्व करने के लिए अन्य
कोई दस्तावेज आदि पेश नही किया है बल्कि जवाबदावा पेश किया जिसमें वाद पेश करना
स्वीकार कर पेरा सं. 2 में निवेदन किया कि वादी का वाद रिकॉर्ड से संबधित है जो वादी अपने
कथन व दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सिद्व करें। पेरा स. 7 में वादी का वादपत्र अस्वीकार करते हुये
बंटवारा का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ । शेष कथन मिथ्या निराधार होने से अस्वीकार
करने की प्रार्थना की है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 1 खतोनी स. 1359 फसली
सन फसली 1359 में नाम काश्तकार के कॉलम संख्या 3 में कजोडी वल्द काना कोम मीणा
साकिन गिरवरपुरा दर्ज है। जमाबन्दी स. फसली 2059 के कॉलम स. 7 मुदृत काश्त पुश्तेनी दर्ज
है। वादी के वाद उक्त वादग्रस्त आराजी को खातेदार की पुश्तेनी मानकर दावा पेश किया है
जो स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं । वस्तुतः इस कॉलम में काश्त करने की समयावधि दर्ज
होती है। जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त आराजी कजोडी वल्द काना को पुश्तेनी काश्त हेतु
प्राप्त हुयी है। अतः उक्त अंकन के आधार पर इस खाते को पुश्तेनी खाता नहीं माना जा सकता
है। पुश्तेनी खाता हेतु वादी को काना पुत्र सावला की जमाबन्दी वादी द्वारा पेश नहीं की गई है।
अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ तय की जाती है।

<u>तनकी न. 2</u> आया वादी की वादग्रस्त भूमि में वादी रिकॉर्ड सुधार कराने का हक रखता है। इस
तनकी को सिद्व करने का हक वादी रखता है। जिसके लिये वादी ने प्रर्दश 1 फसली जमाबन्दी
स. 1359 पेश की है। जिसमें वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर कजोडी वल्द काना कोम
मीणा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी प्रदर्श 1 के कॉलम संख्या 7 में
पुश्तेनी शब्द अंकन है। इसी प्रकार वादी ने प्रर्दश 2 वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 खाता स. 49 पेश
की है जिसमें वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर कजोड वल्द काना साकिन गिरवरपुरा
खातेदार दर्ज होना पाया जाता है। इसी प्रकार वादी ने अपने पूर्वज सावला का सजरा पेश किया
है जिसके अनुसार प्रतिवादी स. 14 नाऔलाद फोत होने से वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2
हिस्सा का खातेदार जाहिर होता है। जो कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में
प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इस हेतु वादी ने गवाह पीडब्ल्यू 1,2,3 पेश किये है । प्रतिवादीगण के
विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। किन्तु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है
जिससे विवादग्रस्त आराजी काना पुत्र सावला की खातेदारी में पायी जाती हों। इस प्रकार
वादग्रस्त आराजी पेतृक होने का कथन वादी निर्विवाद रूप सिद्व नहीं कर पाया है केवल मात्र
फसली जमाबन्दी स. 1359 कॉलम स. 7 में जो प्रर्दश 1 है में पुश्तेनी शब्द अंकन होने मात्र से
इस आराजी को काना पिता सावला की भूमि नहीं मानी जा सकती है। कॉलम संख्या 7 मदृत
काश्त का कॉलम है इसमें कितने साल से काश्त हो रही है का अंकन किया जाता है न कि
खातेदारी तय की जाती है। अतः यह तनकी वादी विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न. 3</u> आया वादी के वादग्रस्त भूमि पर वादी का दावा कब्जे के अभाव में खारिज होने
योग्य है इस तनकी का सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी का है। इस तनकी को सिद्व करने के
लिए वादी ने गवाह पी डब्ल्यू 1,2,3,की जिरह अभिभाषक प्रतिवादी ने की है जिसमें वादग्रस्त
आराजी में वादी का 1–2 हिस्सा होना जाहिर हुआ है। तथा प्रतिवादी ने कब्जे बावत कोई
दस्तावेज आदि पेश नहीं किये है तथा प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है जिसके
कारण उनके द्वारा प्रस्तुत गवाहो के शपथ पत्रों की जिरह शुन्य रही । कब्जे की ताईद गिरदावरी
से होती है। वादी ने गिरदावरी पेश की , गिरदावरी संवत 2065–66–67–68 पेश की जो मोके
मिश्री,लखमा पि. कजोड हिस्सा 3/5 , मानी बदाम पुत्रीया कजोड हि. 2/5 कोम मीणा साकिन
गिरवरपुरा के नाम दर्ज है। गवाह प्र वादी [illegible] पुत्र जगन्नाथ , रामकुवार पुत्र
गोकल, ने वादी का कब्जा होना बताया है जबकि [illegible] पुत्र चन्द्रा मीणा , लखमा पुत्र कजोड

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:42:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है वादी का कभी भी वाद वर्णित आराजी का कब्जा नही बताया है व न ही वर्तमान मे कब्जा होना बताया है। इसी तरह डीब्ल्यू 1 छोटी देवी पत्नि लखमा डी. डब्ल्यू 2 रामेश्वर पुत्र लखमा ने अपनी शहादत में वादी का किसी प्रकार का हक अथवा कब्जा नहीं माना अतः ऐसी स्थिति मे गिरदावरी पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विपक्ष में तय की जाती है।

इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी ने प्रदर्श 1 व 2 वर्तमान जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल व गवाह पी.डब्ल्यू 1 से 3 पेश किये है जिनका विवरण तनकी न. 1 व 2 में के अनुसार है । अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

हमने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व 2 मुताबिक राजरा दावे में अंकित है के अनुसार ग्रस्त आरजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी न होकर कजोडी वल्द काना साकिन गिरवरपुरा की है। वादी व प्रतिवादीगण ग्राम नापाखेडा की आराजी में आधी–आधी जमीन वादी व प्रतिवादीगण की होने से यह आवश्यक नहीं हो जाता है कि क्रदग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा ग्राम घटियाली की आराजी में भी 1/2 हिस्सा हों। इसी आधार पर वादपत्र का संतुलन वादी के पक्ष में दावा प्राईमाफैशाई केस होना नहीं माना जा सकता है। अतः वादी का दावा ग्राम घटियाली हाल तहसील सावर जिला अजमेर जमाबन्दी स. 2065–68 के खाता स. 1011 में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा से नाम विलोपित कर वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किये जाने बाबत वादी द्वारा स्पष्ट रूप से अपने पक्ष में साबित करने असफल रहा है। अतः वादी का दावा ग्राम घटियाली हाल तहसील सावर जिला अजमेर जमाबन्दी स. 2065–68 के खाता स. 1011 मे अंकित आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने व बटवारा करवाने का अधिकारी नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिकरी पर्चा दावा खारिजी का जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.03.14 17:42:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner